राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 13/2025

प्रार्थी/सायल	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैर सायलान्**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **बांटा**		खेराजराम मानाराम पि. आईदानराम चूकी पत्नी आईदानराम वरींगाराम राणाराम पि. परागाराम हरूराम पुत्र धनाराम गुमनाराम घंमडाराम पि. पुराराम चुनाराम जीयाराम तेजाराम पि. डूंगराराम जाति मेगवाल निवासी गादेश्वरी,बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 12.11.2025

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का **बांटा** ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा **गादेश्वरी** राजकीय भूमि ख.न. **319/218** रकबा 0.0607 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता(राजकीय भूमि) में से(**0.0009** हैक्टेयर पर कच्चा झोपड़ा बनाकर) व शेष भाग **0.0598** हैक्टेयर व खसरा नं. **321/236** रकबा 0.0255 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से **0.0255** हैक्टेयर कुल रकबा **0.0862** हैक्टेयर भूमि पर बाड़ बनाकर अतिचार/अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायलान् के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायलान् को नोटिस जारी किये गये।

गैर सालयान् को सुनवाई का दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत तिथि 12.11.2025 को सायल् उपस्थित। गैर सायल खेराजराम पुत्र आईदानराम उपस्थित। गैर सायलान् की ओर से अधिवक्ता श्री डालूराम उपस्थिति। अधिवक्ता श्री डालूराम द्वारा वकालातनामा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। वकालातनामा व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। अतः प्रस्तुत प्रार्थना में अध्ययन एवम् अवलोकन किया गया। गैर सायलान् को पूर्व में सुनवाई पेशी तारीख 07.11.2025 को दी गयी थी। पुनः सुनवाई हेतु उचित समय दिया गया के बावजूद गैर सायल् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये। गैर सायल व अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन होना बताया गया। जबकि उक्त के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त खसरे में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं दिया गया। अतः गैर सायलान् द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर रखा है। जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना बाधित हो रही है। आमजन को उक्त रास्ते की **अत्यावश्कता** होने से गैर सायलान् के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि(गैर मुमकिन रास्ता) है। जिस पर गैर सायलान् का अनाधिकृत कब्जा होने से ग्रामीणों, काश्तकारों का सुखाचार का अधिकार प्रभावित हो रहा है। रास्ते की अत्यावश्यकता होने से उक्त प्रकरण में विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः गैर सायलान् को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित कि[illegible] लगान 0.05 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए [illegible] रूपये [illegible] जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायलान् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश [illegible] जाते है। तथा मौके पर कच्चे झोपड़े को हटाते हुये बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का [illegible] ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible]वली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Solanki
Date: 2025.12.04 16:08:41 IST
Reason: SelfAttested

(ईश्वरलाल सोलंकी)
तहसीलदार गुड़ामालानी
तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर

कार्यालय तहसीलदार गुड़ामालानी